I do not wish to speak with you, answer your questions, or sign or hand you any documents based on my 5th Amendment rights under the United States Constitution.

I do not give you permission to enter my home based on my 4th amendment rights under the United States Constitution unless you have a warrant to enter, signed by a judge or magistrate with my name on it that you slide under the door. I do not give you permission to search any of my belongings based on my 4th amendment rights.

I chose to exercise my constitutional rights.

These cards are available to citizens and noncitizens alike.

आप के संवैंधानिक अधिकार:

अगर आव्रजन और सीमा शल्क प्रवर्तन एजेंट (इमिग्रेशन एजेंट -ICE) आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाजा ना खोले.

अगर इमिग्रेशन एजेंट (ICE)आपसे बात करने की कोशीश करते हैं तो उनके सवालों का जवाब ना दे.

चप रहना आप का अधिकार है. आप को इमिग्रेशन एजेंट को अपना नाम देने की ज़रुरत नहीं. अगर आप ऑफिस में है, एजेंट से वहाँ से जाने की इज़ाजत मांगे, अगर वह हाँ बोले तो वहां से तुरंत चले जाए.

वकील से बात करना आप का अधिकार है.

इमिग्रेशन एजेंट को यह कार्ड दिखाएं. दरवाज़ा मत खोलीयं.

